संख्या: 13/2016/225/61-2016.

प्रेषक,

एस0 पी0 उपाध्याय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।
2.जिला निर्वाचन अधिकारी,
अमरोहा (ज्योतिबाफुले नगर)।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ दिनांक 07 अप्रैल, 2016.

विषय: नव सृजित जनपद अमरोहा (ज्योतिबाफुले नगर) के जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु गोदाम भवन के किराये की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-327/सी0ई0ओ0-3, दिनांक 15 मार्च, 2016 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-211/61-2015, दिनांक 17 मार्च, 2015 के क्रम में जिला निर्वाचन कार्यालय, अमरोहा (ज्योतिबाफुले नगर) की मत पेटिकाओं, स्टील बक्सों, ई0वी0एम0 आदि निर्वाचन सामग्री के भण्डारण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-2016 में गोदाम, जिसका विवरण निम्नवत् है, के किराये की निरन्तरता की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1.	भवन स्वामी/गोदाम मालिक का नाम	-	श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सोहन सिंह
2.	निवासी	-	मोहल्ला-केसरगढ़ तहसील-अमरोहा, जनपद-अमरोहा (ज्योतिबाफुले नगर), उ0प्र0
3.	भवन/गोदाम का क्षेत्रफल	-	962.72 वर्गफिट
4.	किराया **(दि01-3-2015 से 29-2-2016 तक)**	-	4,472.00 प्रतिमाह

(रूपये चार हजार चार सौ बहत्तर प्रतिमाह)

----/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त से संबंधित व्यय वित्तीय वर्ष 2015-2016 की अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2015-निर्वाचन-आयोजनेत्तर-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-17-किराया उप शुल्क एवं कर स्वामित्व" के नामे डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-970/दस-96-24 (7)-95, दिनांक 28 जून, 1996 में प्राप्त शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(**एस0 पी0 उपाध्याय**)
उप सचिव।

संख्या: 13/2016/225 (1)/61-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), आडिट (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -12.
(3) कोषाधिकारी, अमरोहा (ज्योतिबाफुले नगर)।

आज्ञा से,

(**एस0 पी0 उपाध्याय**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।